

फार्म एफ-3
(नियम 3 (3))

राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण

(क) राजकोषीय नीति का विहंगावलोकन -

(क) राजकोषीय नीति का विहंगावलोकन -

1. राज्य पुर्नगठन के पश्चात् राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर में लगातार बढ़ोतरी हुई है। राज्य द्वारा कृषि तथा सिंचाई के क्षेत्र में अधिक पूंजीनिवेश तथा राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये नई औद्योगिक नीति के माध्यम से राज्य में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय सेवाओं के विस्तार के कारण सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि हो रही है। राज्य शासन की उक्त नीतियों के परिणाम स्वरूप राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि किये जाने की संभावना है।

2. राज्य द्वारा किये जा रहे कर प्रयासों के बेहतर परिणाम परिलक्षित हुये हैं। गत पांच वर्षों में राज्य के कर राजस्व में औसतन 7.12 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि रही है। इस वृद्धि के कारण वर्ष 2004-05 से निरंतर राजस्व अधिशेष की स्थिति रही है। वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में राजस्व व्यय में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होने के कारण राजस्व घाटे की स्थिति निर्मित हुई। वर्ष 2015-16 के पश्चात् वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में पुनः बेहतर वित्तीय प्रबंधन से राजस्व अधिशेष रहा, लेकिन वर्ष 2019-20 में केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से में कमी के कारण एवं राजस्व व्यय में वृद्धि के कारण बड़े राजस्व की स्थिति निर्मित हुई है।

3. राज्य के करेतर राजस्व संग्रहण हेतु किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक इस मद में 14 प्रतिशत की औसतन वार्षिक वृद्धि हुई। वर्ष 2014-15 में इसमें 2013-14 की तुलना में 3.35 प्रतिशत की कमी आई थी, किन्तु वर्ष 2015-16 में लगभग 6 प्रतिशत, वर्ष 2016-17 में 8.71 प्रतिशत, वर्ष 2017-18 में 11.84 प्रतिशत, वर्ष 2018-19 में 21.49 प्रतिशत एवं वर्ष 2019-20 में मात्र 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

4. राज्य के गैर विकासोन्मुखी व्यय को गत वर्षों में सीमित रखा गया है। राजस्व मद में वेतन, पेशन तथा ब्याज के अतिरिक्त अन्य मदों में वृद्धि परिलक्षित हुई है। राज्य द्वारा दी जा रही प्रमुख आर्थिक सहायता राज्य के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान कर आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से है। इसके अतिरिक्त राज्य के सभी नागरिकों को खाद्यान्न सुरक्षा सहायता दी जा रही है। अन्य क्षेत्रों में आर्थिक सहायता को सीमित किया गया है। पेशन के भविष्य की देयताओं को ध्यान में रखते हुये निधि का गठन किया गया है तथा केन्द्र सरकार के अनुरूप अंशदायी पेशन योजना लागू की गई है। पदों के युक्तियुक्तकरण तथा रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति के द्वारा वेतन पर व्यय को प्रासंगिक किया गया है।

5. पूर्ववर्ती वर्षों में अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के प्राप्त ऋणों के दायित्व को कम करने के लिये राज्य द्वारा उच्च ब्याज वाले ऋणों का अग्रिम भुगतान कर राज्य

की ऋण ग्रस्तता को काफी कम किया गया है। नये ऋणों हेतु राज्य की ऋण संवनीहयता के आधार पर आंकलन तथा विवेकपूर्ण प्रबंधन तथा सार्वजनिक उपकरणों को बजट के माध्यम से न्यूनतम ऋण उपलब्ध करवाने की नीति से राज्य का ऋण तथा सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात संवहनीय है। राज्य के राजकोषीय घाटे अर्थात् बाजार एवं नाबाड़ आदि संस्थाओं से लिए गए अधिकांश उधार का उपयोग पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु किया जा रहा है, किन्तु राजस्व व्यय में वृद्धि की तुलना में राजस्व में कमी के कारण राज्य के पूंजीगत व्यय में भी निरंतर कमी हो रही है।

6. राजकोषीय स्थायित्व तथा सम्पोषणीयता सुनिश्चित करने तथा राजकोषीय अनुशासन में रहने के उद्देश्य से राज्य विधानसभा द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 पारित किया गया है जो सितम्बर, 2005 से पूरे राज्य में प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उधारों तथा प्रत्याभूतियों की सीमा का निर्धारण तथा राजस्व घाटा व वित्तीय घाटा को सीमित किया जाकर राज्य में राजकोषीय स्थायित्व की स्थिति निर्मित करना है। वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए वित्तीय घाटे की सीमा को 5 प्रतिशत तक रखे जाने हेतु एफ.आर.बी.एम. एक्ट में चालू वर्ष में संशोधन किया गया है।

(ख) आगामी वित्तीय वर्ष हेतु राजकोषीय नीति -

7. वर्ष 2021-22 के बजट में राज्य द्वारा निर्मांकित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर राजकोषीय नीति के अनुपालन का प्रयास किया गया है।

(i) आर्थिक विकास को बनाये रखते हुये सामाजिक क्षेत्र के विकास पर भी जोर दिया गया है।

(ii) कोविड-19 के कारण आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने के बावजूद राज्य की राजस्व प्राप्तियों को कम नहीं होने देना, जिससे राजस्व घाटा वर्तमान स्तर से कम हो तथा वर्ष 2021-22 के लिये वित्तीय संकेतक राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005 में आगामी वर्षों के लिए निर्धारित किए जाने वाले लक्ष्यों के अनुरूप हो।

(iii) राज्य द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता हेतु प्राथमिकताएं तय करते हुये उस आधार पर राशि उपलब्ध करवाना।

(iv) राजस्व व्यय में वृद्धि को देखते हुए स्वयं के संसाधनों में वृद्धि के उपाय करना तथा पूंजीगत व्यय का वित्त पोषण निर्धारित ऋण सीमा में किया जाना।

(v) ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लाने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाना जिससे राजकोषीय घाटा निर्धारित लक्ष्य के भीतर रहे।

8. कुछ राजकोषीय नीति के उपायों का विवरण नीचे दिया गया है -

कर नीति -

9. करों के युक्तियुक्तकरण, सरलीकरण तथा कर प्रशासन को अधिक सुदृढ़ कर कर राजस्व में गत वर्षों में अपेक्षा अनुरूप वृद्धि हुई है। इस नीति को इस वर्ष भी जारी रखा जावेगा।

व्यय नीति -

10. राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में उपलब्ध सेवाओं का स्तर तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की बाहुल्यता को देखते हुये वर्ष 2021-22 के बजट में भी सामाजिक क्षेत्र के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इस वर्ष सामाजिक क्षेत्र हेतु राज्य के कुल व्यय का लगभग 38 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान मुख्यतः सुपोषण अभियान, आंगनबाड़ियों के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सेवाएं, उप स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, शासकीय चिकित्सालयों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, चिकित्सा, इंजिनियरिंग एवं उच्च शिक्षा महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण, पॉलीटेक्निक, आई.टी.आई. एवं स्कूल भवनों का निर्माण, शालाओं का उन्नयन, आश्रम एवं छात्रावासों का निर्माण में किया गया है।

11. राज्य का एक बड़ा इलाका नक्सल समस्या से ग्रसित है। इस समस्या से निपटारे हेतु विशेष प्रावधान किया गया है। गृह विभाग के बजट में कुल रूपये 5,315 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

12. अधोसंरचना विकास के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क तथा पुलों का निर्माण, ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण तथा ग्रामीण अधोसंरचना के निर्माण पर केन्द्रित किया गया है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण किसानों को धान के उचित मूल्य के साथ सभी फसलों के उत्पादन को समान प्रोत्साहन देने हेतु प्रति एकड़ रकबे के मान से निश्चित राशि प्रदाय करने एवं कृषि यंत्रों तथा खाद, बीज आदि की सुलभ उपलब्धता हेतु भी बड़े प्रावधान किये गये हैं।

उधारियां और अन्य देयतायें, उधार देना और निवेश -

13. राज्य के राजकोषीय घाटे के वित्त प्रबंधन हेतु लिये जाने वाले आंतरिक तथा केन्द्र सरकार से ऋण के संबंध में राज्य की नीति गत वर्षों के अनुरूप ही है। राज्य की ऋण सीमा तथा राजकोषीय घाटे के अनुमान के आधार पर वर्ष 2021-22 हेतु उधारियों का आंकलन किया गया है। वर्ष 2021-22 हेतु ऋणों के शोधन पर राशि रूपये 5.376.37 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

14. राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले संस्थागत ऋण मुख्यतः अधोसंरचना विकास तथा सहकारी क्षेत्र की योजनाओं हेतु हैं तथा शेष लोक ऋण, बाजार उधार, पूँजीगत कार्यों तथा केन्द्रीय ऋण विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु हैं। संस्थागत ऋणों की औसत परिपक्वता संरचना 7-8 वर्षों की, बाजार उधारों की 10 वर्षों हेतु तथा एन.एस.एफ. की 25 वर्षों के लिये है। 01 अप्रैल, 2005 के बाद अनुबंधित परियोजनाओं हेतु भी बैंक-टू-बैंक आधार पर ऋण प्राप्त हो रहा है। इन ऋणों की परिपक्वता अवधि 20 वर्ष की है।

15. सरकारी क्षेत्र के उपकरणों को विशेष प्रयोजनों हेतु राज्य शासन द्वारा ऋण के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवायी जाती है। वर्ष 2021-22 हेतु विभिन्न योजनाओं हेतु सहकारी बैंकों, समितियों, निगमों के लिये 304.70 करोड़ व्यय का प्रावधान है। विभिन्न उपकरणों, बोर्ड, निगमों में राशि 73.82 करोड़ के निवेश किया जाना है। निवेश इन संस्थाओं के ऋण लेने की क्षमता में वृद्धि में सहायक होगा।

16. सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के विभिन्न क्रियाकलापों हेतु बजटीय पोषण हेतु कोई व्यय प्रायोजित नहीं है। राज्य शासन के विभिन्न क्रियाकलापों को संचालन करने के लिये इन उपकरणों को बजट से सहायता प्रदान की जाती है।

संचित शोधन निधि -

17. राज्य द्वारा बाजार उधारों की परिपक्वता की भविष्य की देयताओं को पूर्ण करने के लिये वर्ष 2001-02 में संचित शोधन निधि का गठन किया गया है। इसमें मार्च, 2020 तक रूपये 2311.94 करोड़ की राशि धनवेष्ठि की गयी है। वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 275 करोड़ का तथा वर्ष 2021-22 हेतु इस निधि में राशि रूपये 300 करोड़ का धनवेष्ठि किये जाने का प्रावधान है।

आकस्मिक व्यय और अन्य देनदारियां -

18. अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य में विभिन्न निगमों, बोर्ड, संस्थाओं को राज्य शासन की प्रत्याभूति पर ऋण उपलब्ध करवाया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य में कई निगमों आदि का गठन न करने के राज्य शासन के फैसले के कारण अविभाजित राज्य की इन निगमों के दायित्वों के छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्से की देनदारियों को राज्य बजट के माध्यम में चुकाये जाने की व्यवस्था है। विशेष प्रयोजन उधार लिये जाने की आवश्यकता पूर्व में दृष्टिगत नहीं हुई है। राज्य गठन के पश्चात् दी गई प्रत्याभूतियों का नियमित रूप से संबंधितों द्वारा भुगतान किये जाने के कारण अधिकांश संस्थाओं को बजट के माध्यम से राशि नहीं दी गई है, किन्तु केन्द्रीय योजनाओं में राज्यांश, अधोसंरचना निर्माण हेतु दी गई गारंटी पर ऋण के भुगतान हेतु बजट में प्रावधान किया जा रहा है। राज्य में अभी गारण्टी मोचन निधि का गठन नहीं किया गया है, किन्तु शीघ्र इसका गठन किया जायेगा। राज्य शासन द्वारा दी जा रही प्रत्याभूतियों पर सामान्य तौर पर प्रतिवर्ष 0.5 प्रतिशत गारण्टी फीस ली जाती है।

उपभोक्ता प्रभारों पर शुल्क -

19. सार्वजनिक सेवाओं के उपभोक्ता प्रभारों के शुल्क में वर्ष 2021-22 हेतु कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं किया गया है।

(ग) आगामी वर्ष के लिये कार्ययोजनागत प्राथमिकतायें -

1. बकाया करों की वसूली के लिये विशेष अभियान, करों के अपवंचन की प्रवृत्ति में कमी लाकर, तथा कर की दरों में सरलीकरण तथा करेतर राजस्व में विशेषकर बन, खनिज तथा औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल के कर संग्रहण में और अधिक राजस्व संग्रहण हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे।
2. व्यय प्रबंधन में गैर विकासोन्मुखी व्यय की वृद्धि पर नियंत्रण, स्थापना व्यय को सीमित करना तथा राज्य की विकासोन्मुखी योजनाओं को औचित्य के आधार पर परीक्षण कर उनके युक्तियुक्तकरण पर ध्यान केन्द्रित किया जावेगा।

(घ) नीतिगत परिवर्तनों के लिये औचित्य -

1. करों से संबंधित नीतिगत परिवर्तनों के औचित्य - राज्य शासन की इस नीति से गत वर्षों में राज्य के कर संग्रहण में वृद्धि हुई है, किन्तु कोविड-19 के पश्चातवर्ती प्रभावों के चलते राज्य के राजस्व संग्रहण में कमी आयी है, किन्तु आगामी वर्ष में राजस्व के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास उद्देश्यों के अनुरूप है।
2. आर्थिक सहायता का बेहतर लक्ष्यीकरण कर उसको घटाने तथा जरूरतमंद तक इसको सीमित करने के साथ इसका दुरुपयोग रोकना मध्यावधिक उद्देश्यों का लक्ष्य है। गैर उत्पादक व्यय में कमी लाना, स्थापना व्यय में अधिक वृद्धि न होने देने का प्रयास किया जायेगा।
3. लोक ऋण की संवहनीयता के आधार पर लोक ऋणों का उपयोग सुनिश्चित करना राज्य की राजकोषीय नीति के अनुरूप ही है।
4. सार्वजनिक उपयोगिता के लिये किसी प्रकार का परिवर्तन प्रस्तावित नहीं किया गया है।

(ड.) नीतिगत मूल्यांकन -

1. राज्य सरकार के कर राजस्व तथा सकल घरेलू उत्पाद में गत वर्षों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है तथा आगामी वर्ष का अनुमान यथार्थ के करीब है।
2. कर की दरों में युक्तियुक्तकरण, बेहतर कर प्रशासन, न्यायालयीन मामलों के त्वरित निराकरण तथा सरलीकरण करनीति के मार्गदर्शी सिद्धांत है। राज्य सरकार द्वारा इन नीतियों को अमल में लाने हेतु सभी प्रयास किये जायेंगे।
3. बजट में अंतर्निहित राजकोषीय नीति में सबसे महत्वपूर्ण ऋणोत्तर पूँजीगत प्राप्तियों की गिरावट की प्रवृत्ति को रोकते हुये, व्यापक कर सुधार तथा करेतर राजस्व में बढ़ोत्तरी कर राजकोषीय घाटे में कमी लाना है। गत वर्षों में कर सुधारों के प्रयास में मिली सफलता से यह संकेत मिलता है कि राजकोषीय स्थिति सुदृढ़ होगी।